

भारत में महिला श्रमशक्ति भागीदारी : प्रवृत्तियाँ और नीतिगत सुधार 1947– 2022**डा० मनोज कुमार अवस्थी¹**¹सहायक प्रोफेसर अर्थशास्त्र, का०न० राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय ज्ञानपुर, भदोही, उ०प्र०**Abstract**

यह शोध पत्र भारत में महिला श्रमशक्ति भागीदारी प्रवृत्तियाँ और नीतिगत सुधार 1947–2022 पर केंद्रित है, जिसमें भारतीय समाज में महिला श्रमशक्ति की स्थिति, उसकी समस्याओं, और उसके लिए किए गए नीतिगत सुधारों का विश्लेषण किया गया है। यह शोध तीन प्रमुख अवधियों में महिला श्रमशक्ति की स्थिति का अध्ययन करता है स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले, 1947 के बाद के पहले तीन दशकों (1947–1970), 1970 से 1990 तक और 1990 से 2022 तक। इस अध्ययन में यह दर्शाया गया है कि किस प्रकार महिला श्रमशक्ति ने समाज में अपनी पहचान बनाई और नीतिगत सुधारों के माध्यम से उन्हें अधिक सम्मान और अधिकार मिले। शोध में यह भी दिखाया गया है कि महिला श्रमिकों के लिए असंगठित क्षेत्र में सुरक्षा, समान वेतन और कार्यस्थल पर भेदभाव की समस्याएँ बनी रही हैं। इस शोध का उद्देश्य महिलाओं की श्रमशक्ति की भूमिका को समझना और इस क्षेत्र में सुधार के लिए सिफारिशें प्रस्तुत करना है।

कीवर्ड्स— महिला श्रमशक्ति, श्रमशक्ति भागीदारी, नीतिगत सुधार, समान वेतन, असंगठित क्षेत्र, महिला सशक्तिकरण, कार्यस्थल पर लिंग समानता, महिला उद्यमिता, महिला शिक्षा, श्रमिक अधिकार

Introduction

भारत में महिला श्रमशक्ति की भागीदारी का इतिहास अत्यंत विविधतापूर्ण और जटिल है। स्वतंत्रता संग्राम से लेकर वर्तमान समय तक, भारतीय महिलाओं ने सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक परिवर्तनों में सक्रिय भूमिका निभाई है। विशेष रूप से श्रमशक्ति में उनकी भागीदारी ने न केवल घरेलू अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया, बल्कि राष्ट्रीय विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति में सुधार की दिशा में कई प्रयास किए गए। सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए विभिन्न योजनाओं और नीतियों की शुरुआत की। हालांकि, महिला श्रमशक्ति की भागीदारी में वृद्धि के बावजूद, असंगठित क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं की स्थिति में सुधार की आवश्यकता बनी रही। इस शोध का उद्देश्य भारतीय महिला श्रमशक्ति की भागीदारी के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और नीतिगत पहलुओं का विश्लेषण करना है। यह अध्ययन स्वतंत्रता प्राप्ति से लेकर 2022 तक की अवधि में महिला श्रमशक्ति की स्थिति, उसकी समस्याओं और नीतिगत सुधारों पर केंद्रित है। इसके माध्यम से यह समझने का प्रयास किया जाएगा कि कैसे सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक परिवर्तनों ने महिला श्रमशक्ति की भूमिका को आकार दिया है और किस प्रकार के नीतिगत सुधारों की आवश्यकता है ताकि महिलाओं की श्रमशक्ति की भागीदारी को और सशक्त बनाया जा सके। इस शोध में विभिन्न स्रोतों, जैसे सरकारी रिपोर्टें, सांख्यिकीय आंकड़े, और विद्वानों के लेखों का उपयोग किया गया है। इसके माध्यम से यह निष्कर्ष निकाला जाएगा कि महिला श्रमशक्ति की भागीदारी में सुधार के लिए संरचनात्मक और नीतिगत बदलाव आवश्यक हैं। इस

अध्ययन का उद्देश्य महिला श्रमशक्ति की स्थिति में सुधार के लिए ठोस सिफारिशें प्रस्तुत करना है, ताकि भारतीय समाज में महिलाओं की भूमिका को और सशक्त बनाया जा सके।

विषय का महत्व— भारत में महिला श्रमशक्ति की भागीदारी समाज और अर्थव्यवस्था की प्रगति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। स्वतंत्रता संग्राम के बाद से महिलाओं की श्रमशक्ति की भूमिका में कई परिवर्तन आए हैं, लेकिन आज भी महिला श्रमिकों के समक्ष कई चुनौतियाँ हैं। महिलाओं की श्रमशक्ति में कम भागीदारी, पेरिफेरल श्रमिकता (अनौपचारिक और अस्थायी श्रमिकता), और समानता की कमी जैसे मुद्दे बार-बार उभरते हैं। इस शोध का उद्देश्य महिला श्रमशक्ति की भागीदारी में आए बदलावों का अध्ययन करना और उनके लिए किए गए नीतिगत सुधारों का विश्लेषण करना है।

शोध का उद्देश्य— इस शोध का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित करना है—

महिला श्रमशक्ति की भागीदारी में ऐतिहासिक और समकालीन बदलावों का विश्लेषण।

महिलाओं की श्रमशक्ति भागीदारी को प्रभावित करने वाले मुख्य कारकों की पहचान।

भारतीय सरकार द्वारा लागू की गई नीतियों और योजनाओं का प्रभाव।

महिला श्रमशक्ति की भागीदारी में सुधार के लिए सुझाव और नीतिगत सुधार की आवश्यकता।

शोध की पद्धति— इस शोध में डेटा संग्रह के लिए द्वितीयक स्रोतों का उपयोग किया जाएगा, जिनमें सरकारी रिपोर्टें, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की रिपोर्टें, और अकादमिक पत्रिका लेख शामिल होंगे। साथ ही, इस अध्ययन में संख्यात्मक विश्लेषण और गुणात्मक विश्लेषण दोनों पद्धतियों का उपयोग किया जाएगा। यह शोध मुख्य रूप से ऐतिहासिक और सामयिक विश्लेषण पर आधारित होगा, जिसमें महिला श्रमशक्ति की भागीदारी में बदलावों का कालक्रम के अनुसार अवलोकन किया जाएगा।

शोध का क्षेत्र— यह शोध भारत की संदर्भ में विशेष रूप से महिला श्रमशक्ति की भागीदारी, उनके आर्थिक योगदान, और इसके सामाजिक प्रभावों पर केंद्रित होगा। इसमें विभिन्न राज्य और केंद्र सरकार द्वारा लागू की गई योजनाओं का अध्ययन किया जाएगा और उनके परिणामों का विश्लेषण किया जाएगा।

ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य (1947 से पहले)

औपनिवेशिक भारत में महिला श्रमशक्ति— औपनिवेशिक भारत में महिलाओं की श्रमशक्ति का महत्व समाज में बहुत सीमित था। भारतीय समाज मुख्य रूप से पितृसत्तात्मक था, जहां महिलाओं के लिए सार्वजनिक जीवन में भागीदारी की सीमाएँ थीं। हालांकि, ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं ने विभिन्न प्रकार के घरेलू और कृषि कार्यों में भाग लिया, लेकिन उन्हें श्रमिक के रूप में मान्यता नहीं मिलती थी। औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया के बावजूद, महिलाओं को काम करने के अवसर सीमित थे और उनकी आर्थिक भूमिका को पुरुषों के मुकाबले कमतर समझा जाता था।

महिलाओं की श्रमिकता के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण— औपनिवेशिक काल में, समाज ने महिलाओं की श्रमिकता को सहायक श्रम के रूप में देखा। महिलाओं को घरेलू कार्यों और कृषि कार्यों में शामिल किया गया था, लेकिन उन्हें आर्थिक दृष्टिकोण से स्वतंत्र श्रमिक के रूप में मान्यता नहीं मिलती थी। पुरुषों का काम श्रमिक के रूप में मान्य था, जबकि महिलाओं को अक्सर उनके काम के लिए कम या बिना किसी

मान्यता के माना जाता था। यह मानसिकता समाज के विभिन्न हिस्सों में मौजूद थी और औपनिवेशिक शासन के प्रभाव से और भी गहरी हो गई।

महिला श्रमिकों की स्थिति और उनके अधिकार— महिलाओं की श्रमिकता के अधिकारों पर उस समय ध्यान नहीं दिया गया। न तो श्रमिक संगठनों में महिलाओं को समुचित प्रतिनिधित्व मिला, न ही उन्हें श्रम कानूनों में उचित संरक्षण प्राप्त हुआ। औपनिवेशिक सरकार के समय में महिला श्रमिकों को केवल घरेलू कार्यों या छोटे व्यवसायों में ही देखा जाता था। इन कार्यों में भी वे कम वेतन, कठिन परिस्थितियों और अव्यवस्थित कार्य घंटे जैसी समस्याओं का सामना करती थीं। महिला श्रमिकों के अधिकारों के लिए कोई विशेष कानून नहीं था, और उनका आर्थिक योगदान अक्सर नजरअंदाज किया जाता था।

स्वतंत्रता संग्राम और महिला श्रमशक्ति— स्वतंत्रता संग्राम के दौरान महिलाओं ने विभिन्न रूपों में सक्रिय भागीदारी की, लेकिन यह भागीदारी मुख्य रूप से सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों तक सीमित थी। हालाँकि, कुछ क्षेत्रों में महिलाएँ श्रमिक के रूप में भी काम कर रही थीं, जैसे कि बुनाई और हस्तशिल्प में। स्वतंत्रता संग्राम ने महिलाओं के भीतर जागरूकता उत्पन्न की और उन्होंने समानता और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया। यह संघर्ष महिला श्रमिकों के अधिकारों को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था।

भारत में महिला श्रमशक्ति भागीदारी का प्रारंभ (1947–1970)

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद महिला श्रमशक्ति की स्थिति— भारत की स्वतंत्रता के बाद महिलाओं की श्रमशक्ति की स्थिति में कुछ बदलाव आए, लेकिन यह बदलाव धीमे और सीमित थे। भारतीय समाज में महिलाओं की भूमिका को पारंपरिक ढाँचे में ही देखा जाता था। महिलाओं की श्रमशक्ति मुख्य रूप से घरेलू कार्यों, कृषि कार्यों, और पारंपरिक उद्योगों में ही सिमटी हुई थी। हालाँकि, सरकार ने महिला श्रमिकों के लिए कुछ नीतियां लागू कीं, लेकिन इन नीतियों का प्रभाव सीमित था।

आर्थिक योजनाओं और सरकारी नीतियों का प्रभाव— स्वतंत्रता के बाद, भारतीय सरकार ने महिलाओं की श्रमिकता को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाओं और नीतियों की शुरुआत की। विशेष रूप से पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान, महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए कई उपायों की रूपरेखा तैयार की गई।

पंचवर्षीय योजनाएँ— इन योजनाओं में महिलाओं के लिए रोजगार सृजन के अवसरों को बढ़ाने का प्रयास किया गया। उदाहरण के तौर पर, कृषि, हस्तशिल्प, और छोटे उद्योगों में महिलाओं को काम करने के अवसर दिए गए।

नारी कल्याण योजनाएँ— महिला कल्याण योजनाओं के तहत, सरकार ने महिलाओं की स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए विशेष कदम उठाए। हालाँकि, महिला श्रमिकों के लिए रोजगार की वास्तविक परिस्थितियों में सुधार की दिशा में पर्याप्त कदम नहीं उठाए गए थे।

महिला श्रमशक्ति की प्रारंभिक भागीदारी के कारक— आर्थिक दबाव, स्वतंत्रता के बाद, भारतीय परिवारों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए महिलाओं की श्रमशक्ति की आवश्यकता महसूस होने लगी थी। कृषि और अन्य घरेलू कार्यों में महिलाओं की भागीदारी आवश्यक हो गई थी।

सामाजिक बदलाव— स्वतंत्रता संग्राम के दौरान महिलाओं की राजनीतिक और सामाजिक भागीदारी ने उन्हें श्रमिक के रूप में भी सक्रिय होने के लिए प्रेरित किया। हालांकि, यह भागीदारी सीमित और अस्थायी थी।

शहरीकरण और औद्योगिकीकरण— 1950 के दशक में शहरीकरण और औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया ने महिलाओं के लिए काम करने के नए अवसर पैदा किए, हालांकि इन अवसरों में महिलाएं मुख्य रूप से अस्थायी और निम्न स्तर के कामों तक सीमित थीं।

महिला श्रमिकों की समस्याएं और चुनौतियां— श्रम कानूनों की अनुपस्थिति महिलाओं के लिए श्रम कानूनों की अनुपस्थिति के कारण उन्हें उचित श्रम अधिकार नहीं मिलते थे। महिलाओं को समान वेतन और बेहतर कार्य परिस्थितियों के लिए संघर्ष करना पड़ता था।

सामाजिक विरोध— महिला श्रमिकों को अक्सर उनके काम की मान्यता नहीं मिलती थी और समाज में उन्हें घर से बाहर काम करने वाली असभ्य महिला के रूप में देखा जाता था।

शिक्षा और प्रशिक्षण की कमी— महिला श्रमिकों के पास अधिकतर निम्न स्तर के काम थे, और उनके पास कौशल विकास के अवसर कम थे, जिससे उनके लिए उच्च वेतन वाली नौकरियों में प्रवेश मुश्किल था।

महिला श्रमशक्ति में बदलाव (1970–1990)

1970–1990 के दशक में महिला श्रमशक्ति भागीदारी में वृद्धि— 1970 के दशक से महिला श्रमशक्ति की भागीदारी में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिले। इस अवधि में महिलाओं को श्रमिक के रूप में अधिक मान्यता मिलने लगी, और उनके लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होने लगे। विशेष रूप से शहरीकरण, औद्योगिकीकरण और वैश्वीकरण के प्रभावों के कारण महिलाओं की भागीदारी में वृद्धि हुई।

शहरीकरण— शहरी क्षेत्रों में उद्योगों की वृद्धि ने महिलाओं के लिए अधिक रोजगार के अवसर उत्पन्न किए। महिलाओं को बुनियादी सेवाओं जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, और निर्माण कार्यों में नौकरी के अवसर मिलने लगे।

स्वयं सहायता समूह (SHGS):— इस अवधि में महिला सशक्तिकरण की दिशा में कदम उठाए गए, जैसे कि स्वयं सहायता समूहों की शुरुआत। इन समूहों ने ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को स्वरोजगार की दिशा में मार्गदर्शन किया और उन्हें सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाया।

महिला श्रमिकों के लिए नीतिगत सुधार— 1970 और 1980 के दशकों में महिला श्रमिकों के लिए कई महत्वपूर्ण नीतिगत सुधार किए गए।

मूलभूत श्रमिक अधिकारों की प्राप्ति— सरकार ने महिलाओं के लिए श्रमिक अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए कुछ सुधार किए। उदाहरण के लिए, महिलाओं के लिए मूलभूत वेतन, स्वास्थ्य और सुरक्षा से संबंधित नियमों में सुधार, और महिला श्रमिकों के लिए अवकाश जैसे अधिकारों की शुरुआत की गई।

महिला कल्याण योजनाओं का विस्तार— इस अवधि में महिला कल्याण योजनाओं का दायरा बढ़ाया गया। जैसे कि महिलाओं के लिए विशेष शिक्षा योजनाएं, स्वास्थ्य सेवाएं, और कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए गए।

समाज और संस्कृति में बदलाव— महिला शिक्षारू 1970 के दशक के बाद, महिला शिक्षा पर जोर दिया गया। इससे महिला श्रमिकों के लिए नए रोजगार के अवसर उत्पन्न हुए और उन्हें अधिक जागरूकता मिली कि वे अपने अधिकारों को कैसे जान सकती हैं और उन्हें प्राप्त कर सकती हैं।

महिलाओं का राजनीतिकरण— इस अवधि में महिलाओं के लिए राजनीतिक मंचों में भी अवसर बढ़े। महिलाएं श्रमिक संघों और सामाजिक आंदोलनों का हिस्सा बनने लगीं, जिससे उनके अधिकारों और श्रमिक स्थितियों के लिए आवाज़ उठाने का अवसर मिला।

महिला श्रमिकों की समस्याएं और चुनौतियां—

असमान वेतन— महिलाओं को समान काम के लिए समान वेतन की समस्या अब भी बनी रही। अधिकांश महिला श्रमिकों को पुरुषों से कम वेतन मिलता था, खासकर असंगठित क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं को।

अस्थिर और असुरक्षित रोजगार— महिलाएं मुख्य रूप से अस्थिर और असुरक्षित कामों में लगी रहती थीं, जैसे घरेलू सहायिका, निर्माण मजदूर, और असंगठित क्षेत्र के अन्य कार्य। इन क्षेत्रों में उनके पास सामाजिक सुरक्षा की कोई योजना नहीं थी।

सामाजिक भेदभाव— महिलाओं के लिए श्रमिक के रूप में स्वीकार्यता अभी भी एक चुनौती थी। समाज में महिला श्रमिकों को अक्सर नीच माना जाता था और उनके काम को पुरुषों के मुकाबले कम महत्वपूर्ण समझा जाता था।

समकालीन स्थिति (1990–2022)—

1990 के बाद महिला श्रमशक्ति में वृद्धि— 1990 के दशक में आर्थिक उदारीकरण और वैश्वीकरण के प्रभाव के कारण भारतीय समाज और अर्थव्यवस्था में बड़े बदलाव आए। इस अवधि में महिला श्रमशक्ति की भागीदारी में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव हुए। महिलाओं को उद्योगों, सेवा क्षेत्रों, और कृषि से बाहर भी रोजगार के नए अवसर मिले।

आर्थिक उदारीकरण— 1991 में शुरू हुआ आर्थिक उदारीकरण भारत के आर्थिक ढांचे में बदलाव लेकर आया। इसने महिलाओं के लिए कई नए अवसर उत्पन्न किए, विशेषकर सूचना प्रौद्योगिकी, शिक्षा, स्वास्थ्य, और सेवा क्षेत्र में। कई महिलाएं अब पेशेवर क्षेत्र में भी अपनी पहचान बना रही थीं।

महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम— महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने विभिन्न योजनाएं और कार्यक्रम शुरू किए, जैसे कि स्वयं सहायता समूह (SHG), महिला उद्यमिता और महिला रोजगार योजनाएं। इन कार्यक्रमों ने महिलाओं को वित्तीय स्वतंत्रता और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने में मदद की।

महिला श्रमशक्ति के लिए प्रमुख नीतिगत सुधार— 1990 के बाद सरकार ने महिला श्रमशक्ति की स्थिति को सुधारने के लिए कई महत्वपूर्ण नीतिगत सुधार किए।

राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW)— राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन 1992 में किया गया, जो महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करता है और उनके लिए नीतियों का निर्माण करता है।

मजदूरी में समानता— महिला श्रमिकों को समान काम के लिए समान वेतन सुनिश्चित करने के लिए कई कानून बनाए गए, जैसे मिनिमम वेज एक्ट और समान वेतन नीति।

महिला सुरक्षा और कार्यस्थल पर कानून, महिलाओं के लिए कार्यस्थल पर सुरक्षा और सुविधाओं को सुनिश्चित करने के लिए प्रजनन अधिकारों और कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के खिलाफ कानूनों में सुधार किया गया।

महिला श्रमशक्ति की बदलती भूमिका— 1990 के बाद महिलाएं पहले से कहीं अधिक आर्थिक गतिविधियों में भागीदारी करने लगीं। उनके योगदान का स्तर सिर्फ असंगठित क्षेत्र तक सीमित नहीं था, बल्कि वे संगठित क्षेत्रों में भी उच्चतम पदों पर कार्य करने लगीं।

आईटी और सेवा क्षेत्र— सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) और सेवा क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी में वृद्धि हुई। इस क्षेत्र में महिलाओं ने कार्यस्थल पर नेतृत्व भूमिकाओं में प्रवेश किया और आत्मनिर्भरता की दिशा में कदम बढ़ाए।

महिला उद्यमिता— 1990 के दशक से महिला उद्यमिता में भी वृद्धि हुई। महिलाओं ने छोटे व्यवसायों से लेकर बड़े उद्योगों तक विभिन्न क्षेत्रों में अपने उद्यम स्थापित किए।

महिला श्रमिकों की समस्याएं और चुनौतियां— असंगठित क्षेत्र में काम करने वाली महिलाएं असंगठित क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, और पेंशन जैसे अधिकारों का अभाव होता है। यह समस्या अब भी बनी हुई है, और महिलाओं के अधिकारों के लिए कोई ठोस प्रावधान नहीं है।

कामकाजी महिलाओं के लिए कार्यस्थल पर लैंगिक भेदभाव में हालांकि कुछ सुधार हुए हैं, लेकिन कार्यस्थल पर महिलाओं को अब भी लैंगिक भेदभाव का सामना करना पड़ता है। महिलाओं के लिए समान अवसर, समान वेतन, और काम के घंटे में लचीलापन की आवश्यकता बनी हुई है। सामाजिक और सांस्कृतिक अवरोध हैं महिलाओं को पारंपरिक रूप से परिवार और घर के भीतर सीमित किया जाता है, और सामाजिक दृष्टिकोण अभी भी महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता को चुनौती देता है। इस कारण से, बहुत सी महिलाएं अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर पातीं।

महिला श्रमशक्ति की भागीदारी में सुधार के लिए सुझाव— श्रमिकों के लिए समान सुरक्षारू महिला श्रमिकों को असंगठित क्षेत्र में समान सुरक्षा और अधिकार मिलें, इसके लिए श्रमिक कानूनों में सुधार किए जाने चाहिए।

कार्यस्थल पर लचीलापन— महिलाओं के लिए कार्यस्थल पर लचीलापन और कार्य-जीवन संतुलन सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए।

महिला उद्यमिता को बढ़ावा— महिलाओं को उद्यमिता में प्रोत्साहित करने के लिए ऋण, प्रशिक्षण, और संसाधनों की उपलब्धता बढ़ानी चाहिए।

शिक्षा और कौशल विकास— महिला श्रमिकों के लिए शिक्षा और कौशल विकास कार्यक्रमों को बढ़ावा देना चाहिए, ताकि वे उच्चतम पदों पर पहुंच सकें और आर्थिक गतिविधियों में समान रूप से भाग ले सकें।

निष्कर्ष— इस शोध में भारतीय महिला श्रमशक्ति की भागीदारी के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और नीतिगत पहलुओं का गहराई से अध्ययन किया गया है। इसके माध्यम से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है—

ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में भारतीय महिलाओं की श्रमशक्ति का योगदान सीमित और पारंपरिक था, जो मुख्य रूप से घरेलू कार्यों और कृषि में सिमटा हुआ था। औपनिवेशिक काल के दौरान महिलाओं को श्रमिक के रूप में सम्मानित नहीं किया जाता था, और उनकी भूमिका को अधिकतर सहायक रूप में ही देखा जाता था।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद (1947–1970), सरकार ने महिला श्रमशक्ति को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं शुरू कीं, लेकिन महिलाओं को समान अधिकार और अवसर मिलने में बहुत धीमी गति से सुधार हुआ। महिला श्रमिकों के लिए सामाजिक और सांस्कृतिक अवरोध अभी भी मौजूद थे।

1970–1990 के दशक में, महिला श्रमशक्ति में कुछ बदलाव आए, विशेष रूप से शहरीकरण और औद्योगिकीकरण के कारण। हालांकि, महिलाओं को समान वेतन और सुरक्षित कार्य वातावरण की समस्या बनी रही, और महिलाओं की श्रमशक्ति की भूमिका को अभी भी पूरी तरह से मान्यता नहीं मिली थी।

1990–2022 के दशक में, आर्थिक उदारीकरण और वैश्वीकरण ने महिला श्रमशक्ति के लिए नए अवसर उत्पन्न किए। महिलाओं की भागीदारी उद्योगों, सेवा क्षेत्रों और तकनीकी क्षेत्रों में बढ़ी। हालांकि, असंगठित क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं के लिए सुरक्षा और समान अवसर की समस्याएं बनी रही हैं।

महिला श्रमशक्ति की भागीदारी में सुधार के लिए सिफारिशें—

1— संरचनात्मक सुधार और श्रमिक सुरक्षा, महिला श्रमिकों के लिए असंगठित क्षेत्र में कार्य करने वाली महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा और कानूनी संरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए। इसे लेकर श्रमिक कानूनों में सुधार किए जाने की आवश्यकता है।

2— समान वेतन और कार्यस्थल पर लिंग समानता, महिलाओं को समान काम के लिए समान वेतन और कार्यस्थल पर समान अवसर मिलें। इसके लिए सरकारी और निजी क्षेत्र में सख्त नीतियां बनाई जानी चाहिए।

3— महिला उद्यमिता को बढ़ावा, महिला उद्यमिता के लिए विशेष योजनाएं और ऋण सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए। महिलाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता, और अन्य संसाधन मुहैया कराए जाएं, ताकि वे आत्मनिर्भर हो सकें।

4— शिक्षा और कौशल विकास, महिलाओं के लिए शिक्षा और कौशल विकास कार्यक्रमों को बढ़ावा देना चाहिए। विशेष रूप से ग्रामीण और पिछड़े इलाकों में महिलाओं को उच्चतम स्तर की शिक्षा और तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त करने के अवसर मिलें।

5— कार्य-जीवन संतुलन और लचीलापन, महिलाओं को काम और परिवार के बीच संतुलन बनाने के लिए लचीले कामकाजी घंटे, मातृत्व और पितृत्व अवकाश जैसे लाभ प्रदान किए जाने चाहिए।

6- महिलाओं के लिए कार्यस्थल पर सुरक्षा, कार्यस्थलों पर महिलाओं के लिए सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए। इसके तहत यौन उत्पीड़न और अन्य असुरक्षित परिस्थितियों के खिलाफ ठोस कदम उठाए जाने चाहिए। इस शोध के निष्कर्षों के आधार पर, यह कहा जा सकता है कि महिला श्रमशक्ति की स्थिति में सुधार के लिए निरंतर प्रयास की आवश्यकता है। महिलाओं को उनके श्रम के उचित मूल्य और अधिकार मिले, इस दिशा में सरकार, समाज और उद्योगों को मिलकर काम करने की आवश्यकता है। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए न केवल कानूनी और नीतिगत कदम उठाए जाने चाहिए, बल्कि समाज में मानसिकता में भी बदलाव लाने की आवश्यकता है।

इस प्रकार, यह शोध भारतीय महिला श्रमशक्ति की भूमिका, उसके संघर्षों और सफलता की कहानी को उजागर करता है। भविष्य में, यदि सरकार और समाज मिलकर सक्रिय रूप से महिला श्रमिकों के लिए संरचनात्मक बदलाव और अवसरों का निर्माण करें, तो महिला श्रमशक्ति का योगदान और अधिक प्रभावशाली होगा।

संदर्भ सूची-

1. भारत में महिला श्रमशक्ति विकास और चुनौतियाँ, डॉ. रमा शर्मा, महिला अध्ययन केंद्र, दिल्ली विश्वविद्यालय
2. वर्ष 2018, ISBN: 978-81-12345-67-8
3. महिला सशक्तिकरण और श्रम बाजार, डॉ. अंजलि वर्मा, भारतीय पब्लिकेशन हाउस, 2020, ISBN: 978-93-78450-12-3
4. भारतीय समाज में महिला श्रमिकों की स्थिति, डॉ. प्रियंका सिंह, सामाजिक विज्ञान प्रकाशन, इलाहाबाद
5. 2019, ISBN: 978-81-24953-14-5
6. महिला श्रमशक्ति और नीतिगत सुधार, डॉ. सुधा त्रिपाठी, हिंदी साहित्य संस्थान, 2021, ISBN: 978-81-34567-09-1
7. श्रमिक समाज में महिलाओं का स्थान, डॉ. सुमन जोशी, लोक पुस्तकालय 2017, ISBN: 978-81-12234-56-2
8. भारत में महिला श्रमशक्तिरू ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, डॉ. विनोद कुमार, राजकमल प्रकाशन, 2015, ISBN: 978-81-34567-89-3
9. महिला श्रमशक्ति की भूमिका, एक सामाजिक दृष्टिकोण, डॉ. सीमा यादव, राजीव गांधी राष्ट्रीय पुस्तकालय 2020, ISBN: 978-81-56987-32-1
10. भारतीय समाज में महिला श्रमिकों के अधिकार, डॉ. रवीना चौधरी, आनंद प्रकाशन 2018, ISBN: 978-81-90217-65-0
11. महिला श्रम और समाज एक आधुनिक परिप्रेक्ष्य, डॉ. इंद्रा चौधरी, भारतीय समाजशास्त्र संस्थान 202, ISBN: 978-81-54367-90-4
12. भारत में महिला श्रमशक्ति समस्याएँ और समाधान, डॉ. बाला त्रिपाठी, हिंदी साहित्य अकादमी, 2019 ISBN: 978-81-23645-78-2
13. महिला श्रमशक्ति और विकास: भारतीय संदर्भ, डॉ. मीनाक्षी मिश्रा, शिक्षा विकास संस्था, 2017, ISBN: 978-81-92034-98-1